

## \*प्रेस विज्ञप्ति\*

**\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज- दिनांक- सितम्बर 11, 2021\***

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग\*-** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 115 वाहनों का चालान किया गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*पैदल गश्त अभियान\*-** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही की गयी।

**\*आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण\*** अभियुक्ता गिरिजा केवट पत्नी रामवृक्ष नि० बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 183/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे विधिक कार्यवाही करते हुए चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**\*थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*** अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र उमेश चौहान नि०सुगौली थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 ली० कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 179/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा० न्यायालय किया गया।

**\*थाना सोहगीबरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*** अभियुक्त सुनील पुत्र रामचन्द्र नि० शिवपुर थाना खड्डा जनपद कुशीनगर के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 09/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा० न्यायालय किया गया।

**\*थाना श्यामदेउरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*** अभियुक्ता सीमा देवी पत्नी नरसिंह नि0 बेलासपुर नर्सरी थाना श्यामदेउरवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0184/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम मे विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*आर्म्स अधिनियम मे की गयी कार्यवाही\***

**\*थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही\*** अभियुक्त राजकुमार निषाद पुत्र रामाश्रय नि0 जंगल डुमरी थाना गुलरिहां जनपद गोरखपुर के कब्जे से एक अदद चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 217/21 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम मे विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-12 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया

**\*जनपद में दिनांक 10/11-09-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल-27 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\***